



स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय

जलेसर रोड, दौलतपुर, फिरोजाबाद।

<https://www.asmcfirozabad.edu.in>

E-mail- gmcfirozabad@gmail.com

संख्या- एफजैडडी / 2021 / 243

दिनांक- 18.04.2021

सेवायोजन विज्ञप्ति

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों को वाक-इन-इन्टरव्यू (Walk-In-Interview) पद्धति से संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या निम्नवत् है -

क्र०स०	विशिष्टता का नाम	आचार्य	सह-आचार्य	सहायक आचार्य
1.	कम्यूनिटी मेडिसिन	-	1 अन्य पिछड़ा वर्ग	1 अन्य पिछड़ा वर्ग
2.	पैथोलॉजी	-	1 अनुसूचित जाति	1 अन्य पिछड़ा वर्ग
3.	सामान्य मेडिसिन	1 सामान्य	1 सामान्य	1 सामान्य
4.	रेडियोडायग्नोसिस	1 अनुसूचित जाति	1 अनुसूचित जाति	1 अन्य पिछड़ा वर्ग
5.	स्कन एण्ड वीडिओ	-	-	1 अनुसूचित जाति
6.	फॉरेंसिक मेडिसिन	-	-	1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
7.	सामान्य सर्जरी	-	1 सामान्य 1 अन्य पिछड़ा वर्ग	1 अन्य पिछड़ा वर्ग
8.	अस्थि रोग	1 अनुसूचित जाति	-	1 अनुसूचित जाति
9.	स्त्री एवं प्रसूति रोग	-	-	1 अन्य पिछड़ा वर्ग
10.	ब्लड बैंक	1 सामान्य	-	-
11.	एनाटमी	-	-	1 अनुसूचित जाति
12.	एनेस्थीसिया	-	1 सामान्य	1 सामान्य
13.	पीडियाट्रिक्स	-	1 सामान्य	-
	कुल	4	8	11

तीसरी बार साक्षात्कार होने पर वांछित श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में वांछित श्रेणी से भिन्न अभ्यर्थी भी साक्षात्कार में उपस्थित हो सकते हैं।

अर्हताएं एवं वेतनमान:-


- Professor**- "Associate Professor in the subject for 3 years in a permitted/ approved recognized medical college/institution with 4 Research Publications in Indexed Journal on Cumulative basis with minimum of 2 Research Publication during the tenure of Associate Professor as 1st Author or as corresponding author as per NMC (MCI) norms."
- Associate Professor**- " As Assistant Professor in the subject for 4 years in a permitted/approved recognized medical college/institution with 2 Research Publications in Indexed Journal as 1st Author or as corresponding author as per NMC (MCI) norms."
- Assistant Professor**- "3 years Junior Resident in a recognized medical college in the concerned subject and one year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized medical college."
 - In the discipline of Anatomy, Physiology ,Biochemistry, Pharmacology, Pathology, Microbiology, Forensic Medicine and Community Medicine candidate having Post Graduate qualification in the respective subject and three year of Teaching Experience in the Subject in a recognized Medical college/University/institution as resident/registrar/demonstrator/Tutor as a Postgraduate student as per NMC (MCI) norms."
 - Except for the above discipline in another discipline candidate having post Graduate qualification in the respective subject and three years of Teaching experience in the subject in a recognized Medical college/University/institution as resident/registrar/demonstrator/Tutor as a Postgraduate student and in addition one year experience as Senior Resident in the concerned subject in a recognized medical college addition as per NMC (MCI) norms."
- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्य को शासनादेश संख्या-104/2016/5044(1)271-1-2019-जी-63/2008 दिनांक 21.12.2019 के अनुसार नियत वेतन रु० 135000/- सह-आचार्य को नियत वेतन रु० 120000/- एवं सहायक आचार्य का नियत वेतन रु० 90000/- प्रतिमाह है। वेतन के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। शासकीय पत्र संख्या 250/2018/4067/ 71-1-2017 जी-63/2008, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 20

प्रधानाचार्य

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय

सितम्बर, 2018 के द्वारा राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर आचार्य के पद पर नियुक्ति करने हेतु निर्गत शर्तों के अधीन नियत वेतन रू 220000/-प्रतिमाह दिया जायेगा । सेवा शर्तों विषयक विवरण महानिदेशालय एवं कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। आवेदक को **Medical Council of India, Minimum, Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1999** द्वारा निर्धारित शैक्षिक आर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है । इसेक अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा ।

5. चिकित्सा शिक्षक को पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते हैं
6. एम0सी0आई0 नई दिल्ली द्वारा सहायक – आचार्य पद के लिये 01 वर्ष का एस0आर0 का अनुभव होना अनिवार्य होगा ।
7. ओ0पी0डी0 के दिन प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे ।
8. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा ।
9. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राईवेट में देखने के लिये बाध्य नहीं करेगा ।
10. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा ।
11. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे ।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की नियमित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है ।
13. चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा । एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात नियमित शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा ।
14. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिये आवश्यक होगा कि करार के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें ।
15. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा । उसे ऐसे कालावधि के लिये बोनस देय नहीं होगा ।
16. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होगा ।
17. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकी है ।
18. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये । संविदा पर कार्यरत चिकित्सा, शिक्षक द्वारा अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी ।
19. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/ शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी ।
20. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा ।
21. पदों की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है ।
22. इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक-16.04.2021 (शुक्रवार) को एवं तदोपरान्त प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं ।


प्रधानाचार्या
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
फिरोजाबाद
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
फिरोजाबाद